हुकम या कार्यवाही

तारीख हुकम	
8/8/23	पत्रावली पेश हुई अभिभावक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 9/10/23 को पेश हो (हस्ताक्षर)
9/10/23	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 13/10/23 को पेश हो (हस्ताक्षर)
13/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। रिपोर्ट TPR तालेडा प्राप्त हुई। जो शा० मि० की गई। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 19/10/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
19/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर निर्णय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

जाति मुसलमान जमीतपुरा अंकित है। मौका अनुसार ग्राम जमीतपुरा में जांच की गई एवं दस्तावेज की जांच की गई। मुताबिक दस्तावेज प्रार्थी का नाम मुख्तार अली दर्ज है। ग्रामवासियान् इस नाम और वल्दियत का अन्य कोई व्यक्ति इस ग्राम में निवास नही करता ये दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। तहसीलदार तालेडा ने नाम संशोधन की अनुशंषा की है। पेरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार मुख्तार मोहम्मद को मुख्तार अली करने की अनुशंषा की गई।

बहस उभयपक्ष सूनी गई।

प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं अवगत कराया कि राजस्व रेकार्ड में घर वालो के द्वारा सहवन व गलती से रजिस्ट्री के समय प्रार्थी का नाम घर में बोले जाने वाला नाम मुख्तार मोहम्मद ही अंकित करवा दिया था जो कि आज तक राजस्व रेकार्ड में अंकित चला आ रहा है। जिसको दुरूस्त किया जाना प्रार्थी के हित में एवं न्याय के हित में अति आवश्यक एवं जरूरी है।

पेरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार नाम संशोधन किये जाने की अनुशंषा की गई।

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी संवत 2076 वाके ग्राम जमीतपुरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जमाबन्दी में मुख्तार मोहम्मद पुत्र अल्लानूर ही अंकित है। किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड सं. 2024 3913 3635 का अवलोकन करने एवं रिपोर्ट पटवारी का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि मुख्तार मोहम्मद एवं मुख्तार अली एक ही व्यक्ति है एवं दौराने रेकार्ड में अमल दरामद प्रार्थी के परिवारजन द्वारा प्रार्थी का नाम बोलते नाम पर मुख्तार मोहम्मद अंकित करवा दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम मुख्तार अली था। मौका रिपोर्ट अनुसार भी मुख्तार मोहम्मद एंव मुख्तार अली नाम का ग्राम जमीतपुरा में एक ही व्यक्ति होना अंकित किया गया है जिसकी वल्दियत एक हो। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, प्रशासन गावं के संग अभियान की मौका रिपोर्ट , गवाह शफीक अहमद आ0 जाफर हुसेन नि0 जमीतपुरा ,गवाह इस्लाम मोहम्मद आ0 अहमद खॉ एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेडा की कृषि भूमि ख0सं0 800 रकबा 0.9389 हैक्टेयर मे प्रार्थी के नाम मुख्तार मोहम्मद पुत्र अल्लानूर के स्थान पर मुख्तार मोहम्मद उर्फ मुख्तार अली पुत्र अल्लानूर संशोधित किया जावे शेष इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा